न्यायालय न्याय निर्णयन् अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री नरेश बुनकर,
आर.ए.एस.

परिवाद संख्या — 5 / 2017

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
सरकार जरिये श्री गजेन्द्रकुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर		1.श्री भंवरलाल पुत्र श्री खसाराम, पता–गांव एवं पोस्ट खारा,तहसील आहोर, जिला जालोर मैसर्स दुर्गा एजेन्सी,खालसा बस स्टेण्ड, आहोर, जिला जालोर 2.श्री देवीप्रसाद लखोटिया पुत्र शिवप्रकाश लखोटिया, पता–बलदेवसिंह कॉलोनी,सुमेरपुर मैसर्स– माहेश्वरी टेड्रिंग कम्पनी, पोस्ट ऑफिस रोड सुमेरपुर, जिला पाली–306902 मो.न 9414123841

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) एफ व धारा 52 के तहत्

उपस्थिति :–

1.प्रार्थी की ओर से श्री गजेन्द्रकुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर उपस्थित।

2.अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 अनुपस्थित। ।

निर्णय दिनांक 8.11.2017

1. प्रार्थी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य दिनांक 4.1.2016से सम्पन्न कर रहे है और प्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक H/FSSA/Notification/2011-727 दिनांक 29.11.2016 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राज. जयपुर के आदेश कमांक एफएसएसए / 2015 / 1032 दिनांक 30.12. 2015 के अनुसार प्रार्थी को कार्यक्षैत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर आवंटित किया गया है। कमांक शासन उप सचिव,कार्मिक विभाग,राजस्थान जयपुर जारी अधिसूचना कमांक / प.1(2) कार्मिक / क–4 /

08 दिनांक 5.4.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटो को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अधिनस्थ कार्यक्षैत्र के लिए न्याय निर्णयन् अधिकारी नियुक्त किया गया है।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 7.4.2016 को 3.00 पी.एम पर मैसर्स दुर्गा एजेन्सी आहोर, जिला जालोर पर पहुंचने पर प्रार्थी ने विक्रेता को अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया, पूछने पर विक्रेता ने अपना नाम भंवरलाल पुत्र खसाराम, ने स्वयं को दुकान का मालिक होना बताया, वास्ते निरीक्षणार्थ वर्ष 2016 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र होना जाहिर किया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान के अन्दर रैक में 1 लीटर पैकिंग सरसो का तैल(दुर्गा ब्राण्ड) पैकिंग की लगभग 10 बोतल आम जनता को विक्रय के लिए रखी हुई थी। मिलावट का सन्देह होने पर दुकान से 1लीटर सरसो तेल (दुर्गा ब्राण्ड) की चार बोतले वास्ते नमूना जांच प्रार्थी ने खरीदी, जिसकी कीमत के विक्रेता को 400 रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर प्रार्थी स्वयं व विक्रेता तथा उपस्थित गवाहान जोरावरसिंह वार्ड बॉय व जॉन मोहम्मद, वाहन चालक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर ने हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5–ए की प्रतिया व फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता व गवाहान् को पढकर ,सुनाकर व समझकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिस पर अप्रार्थी भंवरलाल ने पढकर,समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये, फार्म सं. 5–ए की एक प्रति अप्रार्थी/विक्रेता श्री भंवरलाल को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदसुदा 1 लीटर की 4बोतलो को लिया तथा लेबल तैयार कर तथा लेबल तैयार कर लेबल पर डी.ओ. के कोड व क्रमांक 0–620 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर प्रार्थी स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान् के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना बोतलो को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. जालोर की हस्ताक्षरसुदा पेपर स्लीप सं. 0–620 नियमानुसार चारो नमूना बोतलो पर नीचे उपर की ओर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता/मालिक एवं गवाहान् के

हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाब्ते में लिया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं.6 की 6 प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया। एक नमूना भाग मय फार्म नं.6 की प्रति के आउटर कवंर में सील बन्द कर,सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक ,राज. जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की, दो फार्म सं.6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सीलमोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक राज. जोधपुर को जमा कराकर,फार्म नं. 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सीलबंद नमूना भाग में फार्म नं. 6 की दो प्रतियो के आउटर कंवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए /2016/2007 दिनांक 4.5.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./397/एक्ट /2016/428 दिनांक 18.4. 2016के अनुसार प्रार्थी द्वारा वास्ते जांच लिया गया नमूना **मिसब्राण्ड** (Misbranded)होना पाया गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी जालोर ने पत्र क्रमांक/06 दिनांक 13.12.20166 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त कैस को न्याय निर्णयन् अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त केस में **मिस ब्राण्ड सरसो का तैल (दुर्गा ब्राण्ड)** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षैत्र नोटिफिकेशन की प्रति, नमूना खरीद बिल असल, फार्म नं.5ए असल,मौका फर्द रिपोर्ट असल,फार्म नं.6 असल एवं प्राप्ति रसीद ,खाद्य विश्लेषक जोधपुर द्वारा खाद्य नमूना संख्या 0—578की प्राप्ति रसीद,खाद्य विश्लेषक जोधपुर की जांच रिपोर्ट, मु.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर का पत्र क्रमांक एफ एसएसए/2016/811 दिनांक 17.2.2016आदि कागजात् प्रस्तुत किये है।

4. खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दि. 11.1.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत् नोटिस जारी

कर अपना पक्ष दिनांक 31.1.2017 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थी सं.1 अनुपस्थित रहे है व अप्रार्थी सं.2 नियत दिनांक 31.1.2017, 20.2.2017 को उपस्थित हुए। अप्रार्थी को उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद में वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। शेष तारीख पेशियों पर अप्रार्थी सं.2 भी अनुपस्थित रहे है। ।

5. अप्रार्थी सं.2 ने दिनांक 20.2.2017 को न्यायालय हाजा उपस्थित होकर प्रस्तुत इस्तगासे के तथ्यों को स्वीकार किया व अप्रार्थी सं.2 से गलती होना बताया एवं इस गलती की पुनरावृति नही करने तथा कार्यवाही ड्रोप करने का निवेदन किया है।

6 चूंकि परिवाद के अप्रार्थी सं.2–श्री देवीप्रसाद ने दि.20.2.17 को न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर लिखित में अपना जुर्म कबूल किया है व कार्यवाही ड्रोप करने का निवेदन किया है। अप्रार्थी सं.2द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने के फलस्वरूप परिवाद में वर्णित गवाहान् सं.2 से 5तक को साक्ष्य हेतु बुलाना उचित नही समझा गया।

7. प्रार्थी की बहस सुनी गई व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया एवं परिवाद में वर्णित तथ्यों,अप्रार्थी सं.2 का जवाब ,साक्ष्य सरकार सं.1 के बयान तथा इसके साथ संलग्न दस्तावेजात्, खाद्य विश्लेषक जोधपुर से प्राप्त जांच–रिपोर्ट संख्या एल एस/ 397/एक्ट/2016/428 दिनांक 18.4.2016 से स्पष्ट हैं कि अप्रार्थी सं.1 से लिया गया सरसो तैल (दुर्गा ब्राण्ड) का नमूना Misbranded पाया गया जिसके लिए अप्रार्थी सं.1 व 2 दोषी प्रतीत होता है। उक्त जांच रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी सं.1 ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।)का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011की धारा 52 में निर्धारित है। अप्रार्थी सं.1 की फर्म–मैसर्स दुर्गा एजेन्सी आहोर को श्री महेश्वरी ट्रेडिंग कम्पनी, सुमेरपुर द्वारा जारी बिल सं. 13714 दिनांक 7.4.2016 में दो कार्टून सरसो तैल (1 लीटर) अंकित है लेकिन उक्त बिल में दिनांक 3.4.2016 को काटकर 7.4. 2016 अंकित किया जाना प्रतीत होता है। चूंकि अप्रार्थी सं. 1 की फर्म श्री दुर्गा एजेन्सी आहोर द्वारा अप्रार्थी सं.2 की फर्म श्री महेश्वरी ट्रेडिंग कम्पनी सुमेरपुर से दो कार्टून सरसो तेल 1 लीटर के पेकिंग खरीद करने के बिल की फोटो प्रति पेश हुई है। अप्रार्थी सं. 2 की फर्म का उक्त माल मिसब्राण्ड

पाया गया है तथा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा उक्त मिसब्राण्ड माल को आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में रखा हुआ था। अतः उपरोक्त को मध्येनजर रखते हुए अप्रार्थी सं.1 व 2 को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थी सं. 1 द्वारा उक्त मिसब्राण्ड माल विक्रय करने व अप्रार्थी सं. 2 की फर्म का उक्त माल मिसब्राण्ड होने से खाद्य मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।)के उल्लंघन करने से उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत् प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए अप्रार्थी सं.1 पर 15000/–रूपये अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये व अप्रार्थी सं. 2 पर 50000/–रूपये अक्षरे पचास हजार रूपये, कुल 65,000/–रूपये अक्षरे पैसठ हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है। साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि अप्रार्थी सं.1 व 2 से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड– "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि " में नियमानुसार जमा करवाकर चालान की प्रति पेश करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 8.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
जालोर

क्रमांक/1507.1510 दिनांक 8.11.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1.खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जन स्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज.जयपुर।
2.अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर
3.श्री गजेन्द्र कुमार सिंहल,खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मु.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधि.जालोर।
4.अप्रार्थी–भंवरलाल पुत्र खसाराम,निवासी खारा,तहसील आहोर,जिला जालोर तथा देवीप्रसाद लखोटिया पुत्र शिवशंकर लखोटिया, निवासी–बलदेवसिंह कॉलोनी, सुमेरपुर मैसर्स–माहेश्वरी टेड्रिंग कम्पनी, पोस्ट ऑफिस रोड,सुमेरपुर। ,

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
जालोर